# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2381/2025**

सुबे सिंह **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, बूंदी।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 28.03.2025
**आदेश की दिनांक** : 02.04.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री एम. एस. राघव, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में हैड कॉस्टेबल के पद पर मुख्यालय, कैशोरायपाटन, बून्दी में निलम्बन के अन्तर्गत कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कानि. के पद पर वर्ष 1998 में जिला बूंदी में हुई थी। अपीलार्थी का कळना है कि जब वह पुलिस थाना बूंदी में 2024 में पदस्थापित था तब उसको आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निलंबित करते हुए उसके विरूद्ध धारा 7 पीसी एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2024 दर्ज की गयी। आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी निलम्बन काल में संचित पुलिस लाईन, बून्दी में उपस्थित रहेगा एवं उपस्थिति के लिये निर्धारित पंजिका में हस्ताक्षर करेगा। अपीलार्थी का कहना है कि निलंबन के पश्चात् उसका मुख्यालय बूंदी किया गया। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक

03.09.2024 के द्वारा पुलिस अधिनियम, 2007 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय बदल दिया गया। आज तक अपीलार्थी को कोई आरोप पत्र भी नहीं दिया गया है तथा उसको निलंबन से बहाल करने हेतु उच्चाधिकारियों को समय समय पर अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल नहीं किया गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ (2015)(7) एसएससी 291 के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं 03.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी के निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें तथा उसे सभी परिणामिक लाभों सहित निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के

लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा )**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**